न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 236/2015

दायर दिनांक–12–10–2015

1. सुशिला पुत्री स्व0 फूलसिंह पत्नी श्री रामजीलाल जाति जाट निवासी ग्राम खोजास हाल आबाद 103 हवाई पटटी वार्ड नं0 6 झुंझुनूं।
2. सुभिता पुत्री स्वर्गीय श्री फूलसिंह पत्नी श्री केशरदेव जाति जाट निवासी ग्राम खोजास हाल आबाद वार्ड नं0 13 देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

– वादियागण

बनाम

1. अरविंद पुत्र स्व.0 फूलसिंह
2. विजेन्द कुमार पुत्र स्व0 फूलसिंह
3. श्रवणी देवी पत्नी स्व0 फूलसिंह
4. रामदेवा पुत्र श्री हीरा
5. लिछमण पुत्र स्व0 सुरजा
6. शीशराम पुत्र स्व0 गोविन्दा
7. रामकरण पुत्र स्व0 गोविन्दा
8. भागोती पत्नी स्व0 रामधन समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम खोजास तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
9. बिमला पुत्री स्व0 रामधन पत्नी विधाधर महला जाति जाट निवासी ग्राम खोजास
10. इन्द्रा पुत्री स्व रामधन पत्नी जयसिंह मील जाति जाट निवासी ग्राम खोजास
11. सरीता पुत्री स्व0 रामधन पत्नी राजेश झाझड़िया जाति जाट निवासी ग्राम खोजास
12. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा नवलगढ़।
13. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा झाझड़ जरिये शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक।
14. स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर शाखा नवलगढ़ हाल स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा मुख्य बाजार नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विकास कुमार सैनी
वकील प्रतिवादी :– श्री राजीव सिंह शेखावत

दावा बाबत घोषणार्थ व
रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
–:: निर्णय ::–

दिनांक–17.07.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम खोजास पटवार हल्का बसावा की सरहद मे भूमि खाता संख्या 119 की भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 1.3500 है0, खसरा नम्बर 243 रकबा 1.9300 है0, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.4600 है0 खसरा नम्बर 246 रकबा 0.2100 है0 खसरा नम्बर 284 रकबा 0.9300 है0 खसरा नम्बर 285 रकबा 1.0384 है0 खसरा नम्बर 291 रकबा 2.8300 है0 व खसरा नम्बर 299 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 8.7984 है0 किस्म बारानी स्थित है। उक्त भूमि का रकबा पहले 8.9000 है0 था परन्तु खसरा नम्बर 284 व 285 में से रास्ता निकलने के कारण रकबा 0.1016 है0 भूमि रास्तें में चली गई जिसका कोई विवाद नही है। उक्त भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 8.7984 है0 के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार पहले वादियागण का पिता फूलसिंह पुत्र किशना था उक्त फूलसिंह पुत्र किशना का देहान्त दिनांक 14.08.2001 को हो चुका है। मौजूदा वाद में स्वर्गीय फूलसिंह पुत्र किशना का देहान्त दिनांक 14.08.2001 को हो चुका है। मौजूदा वाद में स्वर्गीय फूलसिंह पुत्र किशना के 1/3 हिस्से की खातेदारी की भूमि का ही विवाद है। जिसको आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है। फूलसिंह पुत्र किशना के दो पुत्रियां वादीगण और दो पुत्र [illegible] नं0 1 व 2 पैदा हुये। फूलसिंह पुत्र किशना के देहान्त के समय उसके जायज [illegible] प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 जीवित थे परन्तु वादियागण के पिता का देहान्त होने के बाद [illegible] के पिता के 1/3 हिस्से [illegible] दारी की विवादित भूमि का विरासत के आधार पर नामान्तकरण भरकर [illegible] क करते समय प्रतिवादीग[illegible] लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:13:53 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

नम्बर 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज 1/9–1/9 हिस्से की खातेदारी हटाई जाकर वादियागण और प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 1/15–1/15 हिस्सों के अनुसार खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे तथा आवश्यक दुरूस्ती हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावें। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादग्रस्त भूमि में वादियागण के हक व हिस्से की तथा कब्जे काश्त की भूमि पर वादियागण द्वारा काश्त करने निनाण करने व फसल लाटने व बॉटने में किसी प्रकार की कोई बाधा या मदालखत बेजा उत्पन्न नही करें तथा नाहि ऐसा कोई कृत्य करें जिससे वादियागण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा या व्यवधान या मदालखत बेजा उत्पन्न हो। वादियागण को वादग्रस्त भूमि में से उनके हक व हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल नही करें तथा गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में वादियागण के हक हिस्से व खातेदारी काश्तकारी की भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करें। वादियागण को वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से की व कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त करने, निनाण करने, फसल लाटने व बांटने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना तो स्वयं पैदा करें और नाहि अपने किसी नौकर चाकर, परिवार या रिश्तेदार आदि से कोई बाधा पैदा करवायें।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 बावजूद तामिल उपस्थित न्यायालय नही होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रतिवादीगण 14 की ओर से उपस्थित न्यायालय होकर सहमति जाहिर की। एकपक्षीय कार्यवाही व सहमति होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही रह जाती है।

शहादत वादी में वादी स्वयं सुशिला पुत्री स्व0 फूलसिंह तथा सुभिता पुत्री स्व0 फूलसिंह निवासी ग्राम खोजास उपस्थित न्यायालय हाजा होकर अपने मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2056–2059, प्रदर्श –2 नकल जमाबंदी संवत 2060–2063, प्रदर्श –3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2064–2067, प्रदर्श –4 नकल जमाबंदी सम्वत 20689–2071, प्रदर्श –5 नकल जमाबंदी सम्वत 2072–2075, प्रदर्श –6 नकल जमाबंदी संवत 2075–2078, प्रदर्श –7 नकल नामांतरण संख्या 131, प्रदर्श –8 फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र फूलसिंह आदि दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

शहातद पेश होने पर बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। प्रस्तुत दस्तावेज व बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तोवजात् के अवलोकन व प्रतिवादीगण की ओर से सहमति प्रदान करने से प्रमाणित होता है कि वादियागण 1 लगायत 2 स्व0 फूलसिंह की जायन्दा पुत्रियां है जिसके कारण वादियागण स्व0 फूलसिंह की सम्पति में सहखातेदार है। फूलसिंह पुत्र किशना का फौत होने पर इनके स्थान पर वारिसान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः राजस्व ग्राम खोजास पटवार हल्का बसावा की सरहद में भूमि खाता संख्या 119 की भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 1.3500 है0, खसरा नम्बर 243 रकबा 1.9300 है0, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.4600 है0 खसरा नम्बर 246 रकबा 0.2100 है0 खसरा नम्बर 284 रकबा 0.9300 है0 खसरा नम्बर 285 रकबा 1.0384 है0 खसरा नम्बर 291 रकबा 2.8300 है0 व खसरा नम्बर 299 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 8.7984 है0 भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार फूलसिंह पुत्र किशना की भूमि के 2/15 हिस्से की खातेदार वादियागण 01 लगायत 02 तथा शेष 3/15 हिस्सा का खातेदार प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 को घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीयागण स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादीगण उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होने पर स्वीकार किया जाता है। अतः राजस्व ग्राम खोजास पटवार हल्का बसावा की स[illegible] खाता संख्या 119 की भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 1.3500 है0, खसरा नम्बर 243 रकबा 1.9300 है0, [illegible] 244 रकबा 0.4600 है0 खसरा नम्बर 246 रकबा 0.2100 है0 खसरा नम्बर 284 रकबा 0.9300 है0 [illegible] नम्बर 285 रकबा 1.0384 है0 खसरा नम्बर 291 रकबा 2.8300 है0 व खसरा नम्बर 299 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 8.7984 है0 भूमि के 1/3 हिस्से में से जो फूलसिंह पुत्र किशना की दर्ज रिकॉर्ड है में 2/15 हिस्से की खातेदार वादियागण 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:13:53 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रै.)
नवलगढ

लगायत 02 तथा शेष 3/15 हिस्से का खातेदार प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 03 के नाम से दर्ज 1/9–1/9 हिस्से की खातेदारी हटाई जाकर वादियागण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 03 की प्रत्येक की क्रमशः 1/15–1/15 हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से की भूमि मे किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे। तहसीलदार नवलगढ़ को इस आशय की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नानुसर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयन्ती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:13:53 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर॰ए॰एस॰) ए॰सी॰ई॰एम॰(फा॰ट्रे॰) नवलगढ़

दावा : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व
स्थाई निषेधाज्ञा

वाद डिक्री

मुकदमा सं0:– 178 / 2022 **(सुशिला बनाम अरविंद आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाज़िरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 17.07.2023 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम खोजास पटवार हल्का बसावा की सरहद में भूमि खाता संख्या 119 की भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 1.3500 है0, खसरा नम्बर 243 रकबा 1.9300 है0, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.4600 है0 खसरा नम्बर 246 रकबा 0.2100 है0 खसरा नम्बर 284 रकबा 0.9300 है0 खसरा नम्बर 285 रकबा 1.0384 है0 खसरा नम्बर 291 रकबा 2.8300 है0 व खसरा नम्बर 299 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 8.7984 है0 भूमि के 1/3 हिस्से में से जो फूलसिंह पुत्र किशना की दर्ज रिकॉर्ड है में 2/15 हिस्से की खातेदार वादियागण 01 लगायत 02 तथा शेष 3/15 हिस्सा का खातेदार प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 03 के नाम से दर्ज 1/9–1/9 हिस्से की खातेदारी हटाई जाकर वादियागण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 03 की प्रत्येक की क्रमशः 1/15–1/15 हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से की भूमि मे किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे। तहसीलदार नवलगढ़ को इस आशय की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख [illegible]3 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:13:53 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ